वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 15.07.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, जनवार्ता, जागरूक एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 15.07.2026

छह महीने में स्वीकृत किए 83 लेआउट

वाराणसी। वीडीए की ओर से व्यवस्थित शहरी विकास को गति प्रदान करते हुए छह महीने में 83 लेआउट स्वीकृत किए गए हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के अनुसार सात दिन में लेआउट/मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। वीडीए की ओर से स्वीकृत लेआउट में प्लॉट क्रय करने वाले भू-स्वामियों को भवन मानचित्र स्वीकृति के दौरान विकास शुल्क देय नहीं होता है। इससे नियमानुसार विकसित लेआउट में निवेश को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 15.07.2026

व्यापारियों ने वीडीए उपाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

वाराणसी। मैरिज लॉन व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा से मुलाकात की। उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित दो सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। कहा कि कानून की आड़ में लॉन व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मंडल के उपाध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर ने स्कूल और नर्सिंग होम संचालक की तर्ज पर केवल कवर्ड एरिया का शुल्क लेने की बात कही। बबलू मिश्रा, अजित सिंह बग्गा, शिव प्रकाश, सदानंद पटेल, राजेश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ब्यूरो

जनवार्ता–दि0 15.07.2026

अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश, छह माह में 83 ले-आउट स्वीकृत

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहर के सुनियोजित एवं सुरक्षित शहरी विकास को गति देते हुए पिछले छह माह में 83 लेआउट स्वीकृत किए हैं। प्राधिकरण के अनुसार लेआउट और भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया गया है। अब पात्र आवेदनों का निस्तारण सात दिनों के भीतर किया जा रहा है। जिससे भू-स्वामियों और डेवलपर्स को त्वरित सुविधा मिल रही है। वीडीए ने स्पष्ट किया कि उसके स्वीकृत लेआउट में प्लॉट खरीदने वाले भू-स्वामियों को भवन मानचित्र स्वीकृति के समय विकास शुल्क नहीं देना पड़ता, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलती है। प्राधिकरण का कहना है कि पहले बिना भूमि उपयोग की जांच और स्वीकृति के कृषि भूमि पर प्लॉटिंग होने से लोगों को भवन मानचित्र स्वीकृति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई स्थानों पर सड़क, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि भी सुरक्षित नहीं रखी जाती थी। अब सभी मानकों के अनुरूप भूमि उपयोग, सड़क, पार्क और सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित कर ही लेआउट स्वीकृत किए जा रहे हैं। वीडीए का दावा है कि इससे नियोजित विकास को बढ़ावा मिला है और नागरिकों का स्वीकृत परियोजनाओं पर भरोसा बढ़ा है।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 15.07.2026

सुनियोजित एवं सुरक्षित शहरी विकास की दिशा में वीडीए की बड़ी उपलब्धि

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी (जागरुक एक्सप्रेस)। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा वाराणसी के सुनियोजित, सुरक्षित एवं व्यवस्थित शहरी विकास को गति प्रदान करते हुए विगत 6 माह के दौरान 83 लेआउट स्वीकृत किए गए हैं। यह उपलब्धि न केवल नियोजित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आम नागरिकों को सुरक्षित एवं वैध निवेश का भरोसा भी प्रदान करती है। प्राधिकरण द्वारा लेआउट एवं भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया गया है। इसी क्रम में मात्र 7 दिवस के भीतर लेआउट/मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिससे नागरिकों, भू-स्वामियों एवं डेवलपर्स को त्वरित सेवाएं प्राप्त हो रही हैं तथा नियमानुसार विकास को प्रभावी

बढ़ावा मिला है। साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लेआउट में प्लॉट क्रय करने वाले भू-स्वामियों को भवन मानचित्र स्वीकृति के दौरान विकास शुल्क देय नहीं होता है। इससे नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ स्वीकृत एवं नियमानुसार विकसित लेआउट में निवेश को भी प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। पूर्व में अनेक प्लॉटर बिना भूमि उपयोग (Land Use) की जांच एवं प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर विक्रय कर देते थे। परिणामस्वरूप भू-स्वामियों को भवन मानचित्र स्वीकृति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 15.07.2026

छह महीने में 83 मानचित्र स्वीकृत

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने छह माह में 83 मानचित्र स्वीकृत किए हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि प्राधिकरण ने ले-आउट एवं भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की कोशिश की है। इसी क्रम में सात दिन में यह स्वीकृति दी जा रही है। जिससे नागरिकों, भू-स्वामियों एवं डेवलपरों को बेहतर सेवाएं मिल सके। लोगों से अपील है कि बिना भूमि उपयोग की जांच एवं प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किए जमीन की खरीद न करें।